


19/6/17



पत्रावली कायदा कायदा के अन्तर्गत प्रत्येक निष्पक्षी उपाय
 में प्रेषण कर (वकील) उपाय का एक प्रकाश निष्पक्ष
 ले इस में प्रकाश निष्पक्ष लेने से एक
 प्रार्थना पत्र का कोई संशोधन नहीं हो सकता है
 अतः प्रार्थना पत्र काहीन विना प्रकाश के प्रार्थना
 पत्र का अन्तर्गत लेना आवश्यक नहीं है


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाड़ा

दिनांक 19/6/17